

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

Non-Encumbrance Certificate issued to LIC Housing Finance Ltd Jamshedpur Vide
अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113
REFNO LIC HFL/ File No 831/2024 dt 19-02-2024 आवेदन पत्र संख्या 185/2024
प्रमाण पत्र संख्या 62/2024

चूंकि श्री A. Sahu (Adv) for Prem Construction ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता० ०१-०१-२०१२

से ता० २२-०२-२०२४ तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

| क्रम संख्या | (क) सम्पत्ति का विवरण | विवरण की तारीख | (ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य | पक्षों का नाम | | दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश | | |
|-------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------|------|-------|
| | | | | निष्पादन | दावेदार | जिल्द संख्या | वर्ष | पृष्ठ |
| | | | | | | | | |

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करे :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशर्तों कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवमारों का पता नहीं चला है।


निम्न व्यक्ति ने तलाशी की प्रमाण पत्र तैयार किया।


हरजीधर-

पदनाम-
लिपिक

प्रमाणित किया जाता है कि जिला निबंधन कार्यालय सरायकेला खरसावाँ में सन् 01-01-2012 से 22-02-2024 के अनुक्रमिका सं० 2 संव किम्बू का तलाशी अधिवक्ता श्री ए. साहू (अधिवक्ता) द्वारा स्वयं की गई तदनुसार भौजा भटिया, थाना गन्धरिया, थाना न० 127, खाना न० 234, 289, प्लॉट न० 1277, 1279, 1277, 1534, 368 रकबा 26.6 सी० का कार्यालय में सन्दर्भित अमिलेख में अवभार संबंधी कोई प्रविष्ट नहीं है। आवेदक के तलाशी संव लिखित जानकारी के अनुसार अवभार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।


तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की


हस्ताक्षर-

पदनाम- लिपिक



जिला अवर निबन्धक
सरायकेला-खरसावाँ



कार्यालय- जिला निबंधन कार्यालय सरायकेला
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख 22-02-2024.

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेशन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने घर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा दूढ़े गये ऐसे संव्यवहार और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभार पड़ता हो।